न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 50/2019 **दायरा दिनांक : 05.07.2019**

उनवान

1– सत्यनारायण आत्मज मोहनलाल । जाति कुल्मी, निवासी
2– श्यामबाई पुत्री मोहनलाल । जूनाखेड़ा, तहसील
3– संतोष बाई पुत्री मोहनलाल । असनावर, जिला झालावाड़
4– बादामबाई पत्नी स्व0 मोहनलाल । (राज0)

.... अपीलांटगण

बनाम

1– मिथलेश पत्नी श्री भारत कुमार, जाति महाजन, निवासी असनावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
2– गुड्डीबाई पत्नी कैलाशचन्द, जाति कुल्मी, निवासी जूनाखेड़ा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक श्री बी.एल. माहेश्वरी अपीलांट की ओर से

श्रुतिलेखक
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 20.10.2022**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 98/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 मिथलेश ने एक दावा अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम असनावर की खसरा नम्बर 265/1978 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा किस्म माल दोयम में वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस खेत में रास्ता नहीं होने के कारण लगभग एक–डेढ़ वर्षों से फसल काश्त नहीं हो रही है तथा पूर्व से स्थित संतरे के पौधे खराब होने लगे हैं। फसल काश्त करने, कृषि उपज लाने ले जाने हेतु एन.एच.12 से खसरा नम्बर 246, 257, 256, 266 की मेर का उपयोग करते हुए रास्ता चाहा गया है। उपरोक्त रास्ता खसरा नम्बर 246 की पश्चिम दिशा तक तथा खसरा नम्बर 257 के पश्चिम दक्षिण दिशा तक वर्तमान में रास्ता चालू है, आगे का रास्ता खसरा नम्बर 265 के उत्तर पूर्व दिशा में मृतक मोहनलाल/सत्यनारायण, जाति कुल्मी, निवासी जूनाखेडा असनावर ने बन्द कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिक्री किया। ग्राम असनावर का खसरा नम्बर 265/1979 में लम्बाई 858 फीट चौडाई 12 फीट रास्ते के रूप में सार्वजनिक रास्ता (खसरा नम्बर 257, 256 के दक्षिण में तथा खसरा नम्बर 266 की पूर्व दिशा की ओर) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत सशर्ते घोषित किया जाता है कि वादी रास्ते में प्रयुक्त भूमि की कीमत रूपये 1,560356/– राज्य सरकार में जमा करवावे तो राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता का अंकन किया जावे, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री विधि विरूद्ध है, जिस कारण अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री मनमानी है, परवर्स है, केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट नं. 1

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

मिथलेश ने यह दावा पेश किया, किन्तु यह दावा कानून के तहत पेश नहीं किया गया एवं इसको सत्यापित भी नहीं किया गया है, जिस कारण दावा अधीनस्थ न्यायालय को तत्काल लौटाना चाहिए था या खारिज कर देना चाहिए था, जो न कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। रेस्पोडेंट नं. 1 ने अपीलांट के खाते की भूमि में कोई रास्ता नहीं चाहा है, केवल वाद के पेज नं. 2 पर खसरा नम्बर 2056/256 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 266 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 265/1979 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा इबारत दर्ज की है, किन्तु सहायता नहीं चाही है कि वह किस खसरा नम्बर की भूमि में 12 फीट चौडा रास्ता लेना चाहती है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। दिनांक 01.07.2014 को दावे की पुस्त पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को मूल ही तहसीलदार असनावर को भिजवाया जाकर आराजी की मौका रिपोर्ट बाजार दर इत्यादि अन्दर 7 योम मांगा है। यह दावा दिनांक 01.04.2016 को रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 14.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोलाना पर रखा गया। फरीकेन को तलब किया गया तथा रिपोर्ट बाबत स्मरण पत्र जारी किया गया। कई तारीखों के बाद दिनांक 23.01.2018 को अपीलांट सत्यनाशयण उपस्थित हुआ एवं उसने दिनांक 15.02.2018 को जवाब पेश किया, जिसके बाद दिनांक 12.04.2018 को तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई एवं पत्रावली दिनांक 09.05.2018 को पेशी में रखी गई, किन्तु गलत तौर से दिनांक 09.05.2018 को पत्रावली पेशी में नहीं आयी एवं 29.06.2018 को केम्प असनावर पर रखी गई, जिसमें प्रतिवादी की उपस्थिति गलत तौर से दर्ज की गई। अगर प्रतिवादी उपस्थित होता तो उसके हस्ताक्षर आदेशिका पर कराये जाते जबकि मिथलेश वादिया के हस्ताक्षर कराये गये हैं। आगामी तारीख 11.07.2018 को भी गलत तौर से फरीकेन की उपस्थिति लिखी गई है एवं तहसीलदार असनावर से रिपोर्ट प्राप्त हुई लिखा गया है एवं पत्रावली को दिनांक 12.07.2018 को निर्णय हेतु रखी गई एवं अपीलांट सत्यनारायण की अनुपस्थिति में निर्णय सुनाया गया एवं उसके अनुसार प्रारम्भिक डिक्री बनाई

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गई। इस प्रारम्भिक डिक्री को दिनांक 25.10.2018 को संशोधित की गई। सारी आदेशिकायें, निर्णय, डिक्री एवं वाद तथा जवाब एवं बयानाते की सत्य प्रतिलिपियां हमराह अपील पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध अपीलांट के सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 265/1979 में से खसरा नम्बर 256 व 266 की मेर के सहारे सहारे रास्ते हेतु 12 फुट चौड़ी भूमि निर्णित की है, जो विधि विरूद्ध है एवं निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट को रास्ते बाबत कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा ग्राम असनावर का मूल खसरा नम्बर 265 एक ही खातेदार के थे तथा पूर्व खातेदार प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग करता था। अतः वादी रेस्पोडेंट को प्रतिवादी संख्या 2(1) सत्यनारायण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 265/1979 में से खसरा नम्बर 256 व 266 की मेर के सहारे–सहारे रास्ते हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता दिया है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह उचित है उसमें हम किसी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन प्रतीत होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– सत्यनारायण आत्मज मोहनल
2– श्यामबाई पुत्री मोहनलाल
3– संतोष बाई पुत्री मोहनलाल
4– बादामबाई पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति कुल्मी, निवासी जूनाखेड़ा, तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज0)

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– मिथलेश पत्नी श्री भारत कुमार, जाति महाजन, निवासी असनावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
2– गुड्डीबाई पत्नी कैलाशचन्द, जाति कुल्मी, निवासी जूनाखेड़ा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 50/2019 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, असनावर**
मु.द.नं0 98/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक – 12.07.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 14 माह 10 सन् 2022

हाजरी **श्री बी0 एल0 माहेश्वरी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.07.2018 यथावत रखा जाता है ।

बावत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 20 माह 10 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)